CREDA

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण(क्रेडा)

प्रधान कार्यालय, रायपुर

वी.आई.पी.रोड, ऊर्जा पार्क के समीप फुण्डहर, रायपुर (छ.ग.)

मो.नं. 8370008692, टोल फ्री नं. 1800-123-4591, ई-मेल creda.om@gmail.com

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक 12068 /क्रेडा/संचा/संधा/F-718/2021-22 दिनांक: 13/10/21

//परिपत्र//

यह संज्ञान में आया है कि, क्रेडा के विभिन्न पंजीकृत स्थापनाकर्ता इकाईयों द्वारा संयंत्रों की स्थापना उपरांत वारंटी/COMC अवधि में अकार्यशील होने पर निविदा के नियम एवं शर्तो अनुरूप निर्धारित समयावधि में सुधार कार्य नही किया जा रहा है। इकाईयो को फील्ड कार्यालयों द्वारा अनेकों बार सूचित किये जाने उपरांत भी उनके द्वारा लगातार फील्ड कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। अतः संयंत्रों की शतप्रतिशत कार्यशीलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है:-

1. स्थापनाकर्ता इकाईयों/वेण्डरों द्वारा संयंत्रों में वारंटी/COMC अवधि में संचालन/संधारण प्रोटोकाल तथा निविदा के नियम एवं शर्तो के अनुरूप सुधार कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में स्थापनाकर्ता इकाई/वेण्डरों के प्रधान कार्यालय में प्रक्रियाधीन भुगतान/जमा सुरक्षानिधि/ई.एम.डी./पी.एस. आदि से राशि की कटौती कर संयंत्र में सुधार कार्य कर संयंत्र की वारंटी अवधि को अकार्यशीलता अवधि के समानुपातिक बढ़ा लिया जावेगा जिसके लिये स्थापनाकर्ता इकाई/वेण्डर स्वयं जिम्मेदार होंगे।
2. उपरोक्त कार्य की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित इकाई/वेण्डर को क्रेडा में कार्य करने से एक वर्ष के लिये प्रतिबंधित कर उनका नाम काली सूची पर डालने की कार्यवाही की जावेगी।

अतः समस्त इकाईयों/वेण्डरों को सूचित किया जाता है कि, निविदा नियम एवं शर्तो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर निर्धारित समयावधि में सुधार कार्य किया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्तानुसार कार्यवाही के लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(संजीव जैन)
मुख्य अभियंता(RE-II)

क्रमांक 12069 /क्रेडा/संचा/संधा/F-718/2021-22 दिनांक: 13/10/21

प्रतिलिपिः-(सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित)

1. निज सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रेडा प्रधान कार्यालय रायपुर।
2. मुख्य अभियंता(आर.ई.-2/3/4), क्रेडा प्रधान कार्यालय रायपुर।
3. अधीक्षण अभियंता(आर.ई.-2/3/4/6), क्रेडा प्रधान कार्यालय रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, क्रेडा जोनल कार्यालय रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/दुर्ग/सरगुजा
5. कार्यपालन अभियंता, क्रेडा क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/जगदलपुर/दंतेवाड़ा/राजनांदगाँव/बिलासपुर/सरगुजा/रायगढ़।
6. सहायक अभियंता/जिला प्रभारी क्रेडा जिला कार्यालय रायपुर/महासमुंद/बलौदाबजार/धमतरी/गरियाबंद/बालोद/कांकेर/कोण्डागॉव/जगदलपुर/दंतेवाड़ा/सुकमा/बीजापुर/नारायणपुर/दुर्ग/राजनांदगॉव/कबीरधाम/बेमेतरा/बिलासपुर/मुंगेली/कोरबा/सरगुजा/सूरजपुर/कोरिया/जशपुर/बलरामपुर/रायगढ़/जांजगीर चांपा/गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही।

हस्ता......

न. समस्त स्थापनाकर्ता इकाई एवं वेण्डरों को क्रेडा के वेब पोर्टल के माध्यम से सूचनार्थ।

छ. श्री बेन्नी सी.ए., पी.आर.ओ. क्रेडा प्रधान कार्यालय रायपुर को उपरोक्त परिपत्र क्रेडा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य अभियंता(RE-II)